कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./ 33 /न.पा.नि./ जलप्रदाय शाखा/2015/2015–16/बीरगांव,दिनांक 26/03/2015

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण (द्वितीय सूचना)

नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत सक्षम श्रेणी के फर्मों/ठेकेदारों से निम्नांकित कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग में प्रचालित एस.ओ.आर. प्रभावशील दिनांक 01.01.2015 से प्रतिशत दर पर पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित हैं :–

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि	27.04.2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	28.04.2015 सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि	05.05.2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक
प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि	05.05.2015 सायं 4.00 बजे

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.
1	पी.व्ही.सी.टैंक स्थापना कार्य (सामग्री एवं लेबर सहित)	**19.50**	**750.00**	**14625.00**

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

टीप :– निविदा की शर्तें संलग्न है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

पृ. क्रं./ 34/न.पा.नि./ जलप्रदाय शाखा /2015/2015–16/बीरगांव, दिनांक 26/03/2015

प्रतिलिपि :–

01. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
02. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर **संचालनालय की बेबसाईट** www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
03. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र ....

रायपुर को आगामी साधारण अंक में <u>एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन</u> हेतु । **छ.ग. संवाद द्वारा निर्धारित फांट साईज से बड़े साईज में प्रकाशित करने पर भुगतान के लिए निकाय उत्तरदायी नहीं होगी।**

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)
पी.व्ही.सी.टैंक स्थापना कार्य (सामग्री एवं लेबर सहित)
द्वितीय निविदा आमंत्रण
निविदा की शर्तें
निविदा क्रं. 33/दिनांक 26/03/2015 के लिए शर्तें :–

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता – (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (2) आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (3) वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (4) यदि फर्म है तो पार्टनरशीप डीड प्रमाण पत्र (5) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी। इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।
07. सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को सायं 5.00 बजे तक निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
11. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका क्रं. (4) एवं (5) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज और निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर आयुक्त, नगरपालिक निगम बीरगांव के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक/छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्रं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
12. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।

13. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
14. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
15. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी।
16. उपयोग किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
17. नल कनेक्शन उपरांत काटे गए रोड की भराई/कांक्रीटीकरण आदि मरम्मत कार्य ठेकेदार को करनी होगी, जिसके लिए अनुबंधित दरों पर भुगतान देय होगा।
18. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
19. समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
20. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैन्यूअल का पालन करना होगा ।
21. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– ''सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित बैंक का एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।''
22. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव